न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 05/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. दिनेश कुमार जैन पुत्र माणकचन्द जैन मैसर्स नाहर एजेन्सीज, माणिक्य नगर रोड भीलवाडा 2. उर्मिला जैन पत्नी भानू कुमार जैन मैसर्स नाहर एजेन्सीज, माणिक्य नगर रोड भीलवाडा 3. M/s SB (SENO BIOTECH) PVT. LTD. Campus Corner, Nr. Prahlad Nagar, Garden Satelite, Ahmedabad 4. M/s SENO BIOTECH) PVT. LTD. Plot No. 11, Ayodhyapuri Colony, Opp. Balaji Dharm kanta, Harmada, Sikar Road Jaipur 5. M/s QUIXOTIC HEALTHCARE 88-A EPIP, Phase – II, Thana Baddi, Dist. Solan (H.P.) विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 21.02.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी दिनेश कुमार जैन पुत्र माणकचन्द जैन मैसर्स नाहर एजेन्सीज, माणिक्य नगर रोड भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को Health Supplement (Okfit

२५

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना Health Supplement (Okfit Syrup) Misbranded होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी दिनेश कुमार जैन पुत्र माणकचन्द जैन मैसर्स नाहर एजेन्सीज, माणिक्य नगर रोड भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड Health Supplement (Okfit Syrup) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 16.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 20.02.2024 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षीगण स्वयं उपस्थित है। विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश किया गया।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना Health Supplement (Okfit Syrup) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना Health Supplement (Okfit Syrup) में Added Synthetic colouring matter – water soluble synthetic food colour Tartrazine (17.0mg/kg) found present (Not declared on the label). Contravention to regulation No. 5.(5) of Food Safety and Standards (Labelling and display) Regulation 2020. इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड Health Supplement (Okfit Syrup) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षीगण ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 उक्त प्रोडक्ट के थोक विक्रेता हैं एवं पैक माल खरीदते है व पैक अवस्था में ही रिटेलर को बेंच दिया जाता हैं। प्रोडक्ट से कोई छेडछाड नही की जाती हैं। विपक्षी संख्या 03 से 05 ने निवेदन किया कि उक्त प्रोडक्ट में प्रिटिंग मिसटेक होने से लेबल पर प्रिंट नही हो पाया हैं। वर्तमान भूल सुधार कर सही करवा दिया गया हैं। भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नही करेगें। प्रथम बार हुयी भूल के लिए क्षमा करें। आगे से कोई गलती नही होगी। कृपया प्रकरण को समाप्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस. /1405/एक्ट/2023/2751 दिनांक 13.07.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Health Supplement (Okfit Syrup) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना Health Supplement (Okfit Syrup) में Added Synthetic colouring matter – water soluble synthetic food colour Tartrazine (17.0mg/kg) found present (Not declared on the label). Contravention to regulation No. 5.(5) of Food Safety and Standards (Labelling and display) Regulation 2020. इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड Health Supplement (Okfit Syrup) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी दिनेश कुमार जैन पुत्र माणकचन्द जैन मैसर्स नाहर एजेन्सीज, माणिक्य नगर रोड भीलवाडा Health Supplement (Okfit Syrup) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड Health Supplement (Okfit Syrup) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगणों को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगणों द्वारा उल्लघंन

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)